कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय, एच–21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

पत्रांकः 3311 /वाद संख्या–आर–0339/2025 दिनांक 27/08/2025

सेवा में,

पुलिस क्षेत्राधिकारी,
ऋषिकेश।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक–3120/वाद संख्या आर–0339/2025 दिनॉक 14–05–2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें श्री प्रदीप दूबे/भवन स्वामी, वीरभद्र रोड, निकट सीमा डेन्टल पुलिया के पास, ऋषिकेश, जिला–देहरादून में बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माण करने पर किया गया अनधिकृत निर्माण को दिनांक 15–05–2025 को सीलबन्द किया गया था में अपरिहार्य कारणों से सीलबन्द की कार्यवाही नहीं हो सकी है। प्रश्नगत समस्त अवैध निर्माण को पुनः दिनॉक 30/8/25 को सीलबन्द किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि को अवैध निर्माण की सील कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश को पर्याप्त पुलिस बल (महिला व पुरूष) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,
ऋषिकेश।

प्रतिलिपिः–

1:– प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली , ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ की उक्त तिथि को आवश्यक पुलिस बल (महिला व पुरूष) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2:– तहसीलदार, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि उक्त नियत तिथि को सील के दौरान कानून एंव शांति व्यवस्था के दृष्टिगत यथोचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

3:– नाजिर, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को इस निर्देश के साथ की उक्त नियत तिथि को प्राधिकरण वाहन, चालक सहित एवं सुरक्षा गार्ड, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मय सील सामग्री स्टील की तार सहित उक्त दिनांक को पूर्वान्ह 11.00 बजे शाखा कार्यालय ऋषिकेश में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

4:– श्री प्रदीप दूबे/भवन स्वामी, वीरभद्र रोड, निकट सीमा डेन्टल पुलिया के पास, ऋषिकेश, जिला–देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नियत सील तिथि को स्थल पर उपस्थित रहें।

5:– सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि सील कार्यवाही नियत तिथि पर कराना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार ऋषिकेश, जनपद देहरादून 28/8/25

कोतवाली ऋषिकेश दि० 28/8/25 जनपद – देहरादून

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,
ऋषिकेश।